Computer No: 1700786

संख्या-42/2023/1659/नौ-5-2023/001-01-budget-2019

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
सी0एण्ड0डी0एस0,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय),
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2023

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में नगर निगम, शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तनर्गत बहुउद्देशीय आडिटोरियम निर्माण की निर्धारित लागत रूपये 1379.95 लाख+जी0एस0टी0(नियमानुसार देय)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष चतुर्थ/अंतिम किश्त एवं जी0एस0टी0 की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषयक महाप्रबन्धक(नि0-03)/,सीएण्डडीएस उ0प्र0 जल निगम(नगरीय) के पत्र संख्या-343/जीएम(एन-03)/नो0-1/10 दिनांक 24.03.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम,शाहजहाँपुर के क्षेत्रान्तर्गत बहुउद्देशीय आडिटोरियम निर्माण की प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मूल्यांकित लागत रूपये 1379.95 लाख+जी0एस0टी0(नियमानुसार देय)की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-60/2019/494/नौ-5-2019-01बजट/2018 दिनांक 06.03.2019 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि **रू0 551.98** लाख, शासनादेश संख्या-93/2019/1098/नौ-5-2019-01बजट/2018 दिनांक 25.03.2019 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-168/2022/5073/नौ-5-2022/001-01budget-2019 दिनांक 09.11.2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 258.97 लाख अर्थात कुल रू0 1310.95 लाख, का व्यय हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ/अंतिम किश्त के रू0 में रू0 69.00 लाख एवं जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 148.57 लाख अर्थात कुल धनराशि **रू0 217.57 लाख (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र)** निम्नलिखित शर्तो/ प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) तथा संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर निदेशक, सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम को उपलब्ध करायी जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।

(2) कार्यदायी संस्था सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप प्रशासकीय विभाग द्वारा स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(4) प्रायोजना का आगणन परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-30 सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, शाहजहाँपुर द्वारा तैयार किया गया है, जो महाप्रबन्धक(नि-13) सीएण्डडीएस, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ एवं नगर आयुक्त, नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा संस्तुत तथा सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा अनुमोदित है।

Tiwari ji-Go-2018-VC

(5) सभागार का रख-रखाव एवं संचालन नगर निगम, शाहजहाँपुर द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत जी0एस0टी0 की वास्ताविक धनराशि नियमानुसार देय होगी।

(7) प्रायोजनान्तर्गत ए0सी0, डी0जी0 सेट, सी0सी0टी0वी0 कैमरा, साउण्ड सिस्टम, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टयर, यू0पी0एस0, आडिटोरियम स्टेज करटन सिस्टम, बैक स्टेज एनाउन्सीमेन्ट कम काल बैक सिस्टम, हाउस साइनेज, प्रोसीनियम, साइक्लोनरामा, कैटवाल, आडिटोरियम आदि की लागत कोटेशन के आधार पर प्रस्तावित की गयी है। इसे इंडीकेटिव दरें मानते हुए लागत का परीक्षण किया गया है। अत: क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर लागत दरें प्राप्त करें। कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर सुनिश्चित कराया जाय।

(8) प्रायोजना प्रस्ताव में एयर कन्डीशनिंग हेतु 350 एच0पी0 का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्रभाग द्वारा फिलहाल इस कार्य हेतु एकमुश्त लागत अनुमन्य की गयी है, जो निर्माण के समय वास्तविक विवरण एवं आगणन के अनुसार देय होना कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(9) प्रभाग द्वारा प्रायोजनान्तदर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्रा दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10) प्रभाग द्वारा प्रायोजना की लागत का आकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन तथा बजट आवंटन के उद्देश से किया गया है। अत: प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(11) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्ता्वित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्त्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

(13) स्वीकृत धनराशि का व्यय होने तथा कार्य गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराये जाने के साथ उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराये जाने पर अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(14) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त -पुस्तिका खण्ड -6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(15) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(16) प्रश्नकगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(17) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(18) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(19) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबधित कार्यदायी संस्थाय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,17,57,000 (रुपये दो करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 037 **लेखा शीर्षक** 2217801910800 शहीदों की स्मृति में पार्कों / प्रदर्शनी स्थलों/ सभागार का निर्माण एवं विकास **मानक मद** 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

Tiwari ji-Go-2018-VC

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
30.06.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-42/2023/1659/नौ-5-2023/001-01-budget-2019, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3- जिलाधिकारी,शाहजहाँपुर।
4- नगर आयुक्त,नगर निगम, शाहजहाँपुर।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0 प्र0,लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम(नगरीय), लखनऊ ।
8- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
9- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
11- गार्ड फाईल/कम्प्यू जन टर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
30.06.2023

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Tiwari ji-Go-2018-VC

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024
आवंटन दिनांक-30/06/2023

प्रेषण संख्या:- 42
आवंटन आदेश संख्या:- 001-42-2023-1659-9-5-2023-001-01Bud-2019
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
08 - शहीदों की स्मृति में पार्कों / प्रदर्शनी स्थलों/ सभागार का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	21757000 21757000	21757000 21757000
	योग	वर्तमान प्रगामी	21757000 21757000	21757000 21757000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ सत्रह लाख सत्तावन हजार

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव